



उत्तराखंड के समस्त जनपदों में जारी
राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज-III
(राष्ट्रीय गोकुल मिशन)



अवधि - 01.08.2021 - 31.05.2022

लिंग वर्गीकृत वीर्य मात्र रु0 100 के शुल्क पर सभी जनपदों में उपलब्ध

अवैतनिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को ₹100 प्रति गर्भाधान की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रथम गर्भाधान के फलस्वरूप गर्भधारण पर ₹200 तथा द्वितीय गर्भाधान पर ₹150 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

प्रत्येक उत्पन्न संतति पर ₹100 की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी फैसला।

प्रोजेनी की 1% संख्या का पितृत्व मूल्यांकन (Parentage Testing)

पशुपालक अपने पशुओं को ईयर टैग लगवाकर पोर्टल पर पंजीकृत अवश्य करवाएं, जिससे उन्हें भविष्य में अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा सकेगा।

जल्दी ही अपने निकटतम पशु चिकित्साधिकारी, पशु सेवा केंद्र अथवा प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से संपर्क करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

उत्तराखंड पशुधन विकास परिषद, निदेशालय पशुपालन विभाग, उत्तराखंड परिसर, मोथरोवाला देहरादून

प्रथम तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून

संपर्क: 0135-25232619, 8057506334, 9639951525

ई-मेल: ceouldb2019@gmail.com | वेबसाइट: www.uldb.org